



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936

No. 248]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISAKHA 17, 1936

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2014

**सा.का.नि. 321(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2014 कहा जाएगा ।
- (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 के उप-पैरा (6) में निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु अप्रचलित खातों के संबंध में यदि किसी दावे का निपटारा उस दावे के निपटारे के लिए आवेदन के प्राप्त होने के तीस दिन से अधिक के लिए निर्लंबित रहता है वहां उप-पैरा (2) के अनुसार तीस दिन के अपवर्जित करते हुए विलम्ब के लिए ब्याज को खाते में जमा किया जाएगा ।”

[फा. सं. एस-35012/01/2010-एसएस-II]

अनिल कुमार खाची, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण.**—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र में का.नि.आ. संख्यांक 1509, दिनांक 02 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित किया गया और सा.का. नि. संख्यांक 60(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2013 को अंतिम संशोधन किया गया । ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2014

**G.S.R. 321(E).**—(E) In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952; namely: —

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in sub-paragraph (6) of paragraph 60 the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if the settlement of claim in respect of inoperative account is delayed for more than thirty days from the date of receipt of the application for settlement of claim, interest shall be credited to the account in accordance with sub paragraph (2) for delay period excluding the period of thirty days."

[F.No. S-35012/01/2010/SS-II]

ANIL KUMAR KHACHI, Jt. Secy.

**Foot Note:** - The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India vide S.R.O. number 1509, dated the 2nd September, 1952 and lastly amended vide G.S.R. number 60(E), dated the 1st February, 2013.